बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

:: संकल्प ::

पटना–15, दिनांक–

श्री दिनेश मालवीय (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक 192/11, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नरकटियागंज, प0 चम्पारण, बेतिया के विरुद्ध दर्ज निगरानी थाना कांड संख्या 48/11 दिनांक 29.07.20211 से 21.12.2011 को न्यायिक हिरासत में आदर्श केन्द्रीय कारा, बेउर, पटना में संसीमित किये जाने के फलस्वरूप बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–9(2) के तहत कारा में संसीमित अवधि दिनांक 21.12.2011 से 24.03.2012 तक के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 8162 दिनांक 07.06.2012 द्वारा निलंबित किया गया तथा दिनांक 24.03.2012 को कारा निरोध से मुक्त होने के फलस्वरूप श्री मालवीय द्वारा दिनांक 26.03.2012 को सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में योगदान समर्पित किया गया। श्री मालवीय का योगदान स्वीकृत करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–9(1)(ग) के तहत अगले आदेश तक के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 8161 दिनांक 07.06.2012 द्वारा पुनः निलंबित किया गया। श्री मालवीय की दिनांक 28.02.2013 को सेवानिवृत्त के मद्देनजर दिनांक 28.02.2013 से इन्हें विभागीय संकल्प ज्ञापांक 3595 दिनांक 28.02.2013 द्वारा निलंबन से मुक्त किया गया।

विभागीय पत्रांक 8106 दिनांक 23.05.2013 द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना तथा पत्रांक 19434 दिनांक 23.12.2013 द्वारा जिला पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया से श्री मालवीय के विरूद्ध आरोप–पत्र प्रपत्र 'क' साक्ष्य सहित उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 401 दिनांक 17.02.2014 द्वारा आरोप–पत्र प्रपत्र 'क' उपलब्ध कराया गया।

श्री मालवीय के विरूद्ध आरोप है कि :–

(i) निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के गठित धावा दल द्वारा निगरानी थाना कांड सं0–048/11 धारा–8/7/13(2)–सह–पठित धारा–13(1)डी0 भा0द0वि0 अधिनियम, 1988 के अंतर्गत दिनांक 29.07.2011 को श्री नंद किशोर मिश्र, लिपिक, नगर परिषद कार्यालय, नरकटियागंज को 5000/–(पाँच हजार) रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर विशेष न्यायालय, निगरानी, मुख्यालय में प्रस्तुत किया गया, जहाँ से इन्हें न्यायिक हिरासत में खुदीराम बोस आदर्श कारा, मुजफ्फरपुर भेजा गया। इनके विरुद्ध संबंधी आरोप–पत्र सक्षम न्यायालय में समर्पित किया गया है।

(ii) निगरानी विभाग के प्रतिवेदन के अनुसार अपने अधीनस्थ कार्यरत लिपिक, श्री नंद किशोर मिश्र (प्राथमिकी अभियुक्त) को बुलाकर वधशाला के एकरारनामा के एवज में 5000/– रूपये रिश्वत के रूप में मांगने तथा उक्त घूस की राशि प्राप्त हो जाने के बाद श्री मिश्रा को उक्त राशि अपने पास रख लेने का निदेश दिया जाना तथा उसी वक्त निगरानी धावा दल द्वारा श्री मिश्र को रंगे हाथ पकड़ा जाना यह दर्शाता है कि उक्त कांड में श्री मालवीय की भी पूर्ण संलिप्तता रही है।

निगरानी विभाग के प्रतिवेदन एवं की गयी अनुशंसा के आधार पर विधि विभाग, बिहार, पटना के आदेश 7902 दिनांक 27.10.2011 द्वारा श्री मालवीय के विरुद्ध निगरानी थाना कांड सं0–48/11 दिनांक 29.07.2011 में अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

(कृ0पृ0उ0)

श्री मालवीय के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों के लिए बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43(बी) के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 3298 दिनांक 10.03.2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

जाँच आयुक्त–सह–सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 225/गो0 दिनांक 16.09.2025 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री मालवीय के विरूद्ध दोनों आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

आरोपित पदाधिकारी श्री दिनेश मालवीय, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नरकटियागंज सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध गठित आरोप, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के समर्पित जवाब एवं साक्ष्य/साक्षी की गवाही/बयान की जाँचोपरान्त संचालन पदाधिकारी द्वारा निम्नलिखित मंतव्य समर्पित किया गया है :–

1. आरोपित पदाधिकारी श्री दिनेश मालवीय, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नरकटियागंज सम्प्रति सेवानिवृत द्वारा वादी बुचरखाना (मांस–मछली–मुर्गा) के एकरारनामा (Agreement) करने के एवज में रूपये 5,000/–(पाँच हजार) रिश्वत के रूप में अपने लिए मांग की गई और उक्त राशि अपने कार्यालय कर्मी श्री नन्द किशोर मिश्र को वादी से दे देने के लिए कहा गया था और इसी रिश्वत की राशि को लेते हुए निगरानी विभाग के धावा दल द्वारा श्री मालवीय के कार्यालय कर्मी श्री नन्द किशोर मिश्र को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। कार्यरत लिपिक, श्री नन्द किशोर मिश्र (प्राथमिकी अभियुक्त) को बुलाकर वधशाला के एकरारनामा के एवज में 5000/–(पाँच हजार) रूपये रिश्वत के रूप में मांगने तथा उक्त घूस की राशि प्राप्त हो जाने के बाद श्री मिश्र को उक्त राशि अपने पास रख लेने का निदेश दिया जाना तथा उसी वक्त निगरानी धावा दल द्वारा श्री मिश्र को रंगे हाथ पकड़ा जाना यह दर्शाता है कि उक्त कांड में आपकी भी पूर्ण संलिप्तता रही है। फलस्वरूप श्री मालवीय के विरूद्ध निगरानी थाना कांड संख्या 48/11 दिनांक 29.07.2011 दर्ज किया गया।

2. संचालन पदाधिकारी द्वारा उल्लेख किया गया है कि आरोपित पदाधिकारी श्री मालवीय द्वारा अपने बचाव बयान में मुख्य रूप से कहा गया है कि विभाग द्वारा यह सर्वथा गलत तथ्य अंकित किया गया है कि मुझे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ कर गिरफ्तार किया गया था। सच्चाई तो यह है कि निगरानी विभाग के धावा दल द्वारा दिनांक 29.07.2011 को मुझे नहीं वरन नगर परिषद कार्यालय परिसर, नरकटियागंज, पश्चिमी चम्पारण (बेतिया) में लिपिक श्री नन्द किशोर मिश्र को रिश्वत के रूप में परिवादी से पाँच हजार रूपया के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। उनके द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि इस कांड में मेरा नाम मात्र अभियुक्त नंद किशोर मिश्र के ब्यान के आधार पर लाया गया है। कानून में अभियुक्त के ब्यान की अहमियत तब ही मानी जाती है जब उसके बयान को समर्थित करता हुआ कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध हो, मेरे विरूद्ध कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। निश्चित तौर पर अभियुक्त श्री मिश्र के द्वारा स्वयं को निर्दोष करने के लिए ही मेरे संबंध में झुठा बयान दिया गया जिसे वे किसी भी साक्ष्य से सिद्ध नहीं कर सकते।

आरोपित पदाधिकारी के बचाव के लिखित अभिकथन पर प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा अपने मंतव्य में मुख्य रूप से उल्लेख किया गया है कि निगरानी थाना कांड 48/2011 के क्रम में संचालित विभागीय कार्यवाही से संबंधित निर्गत सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक 3298 दिनांक 10.03.2014 में उल्लेखित

(कृ0पृ0उ0)

तथ्यों से इस काण्ड में आपकी संलिप्तता प्रमाणित होती है। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना का पत्रांक SR–048–11 दिनांक 16.01.2012 से एवं साथ ही निगरानी काण्ड वाचर (निगरानी सिपाही) श्री रशीद इमाम के आवेदन दिनांक 26.07.2011 से भी इनकी संलिप्तता प्रमाणित होती है।

3. घटना के परिवादी श्री अमित कुमार वर्णवाल के आवेदन दिनांक 21.07.2011 में स्पष्टतः श्री मालवीय द्वारा एकरारनामा रिश्वत की मांग किये जाने हेतु आरोपित किया गया है। साथ ही उपरोक्त निगरानी कांड के वाचर (निगरानी सिपाही) श्री राशिद ईमाम के आवेदन दिनाक 26.07.2011 से स्पष्ट होता है कि एकरारनामा हेतु अतिरिक्त राशि/रिश्वत की मांग एवं घटना में संलिप्तता पायी गयी है। वर्णित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि The Prevention of Curruption Act, 1988, Chap-3. Sec-7 "Public Servent Taking Gratification Other Than Legal Remuneration in Respect Of An Official Act" सत्यापित होता है।

कांड के वाचर श्री रसीद ईमाम, सिपाही निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के आवेदन दिनांक 26.07.2011 में उल्लेख है कि श्री अमीत कुमार वर्णवाल, आदर्श चौक मस्जिद रोड नरकटियागंज के साथ उनके द्वारा दिये गये परिवाद के सत्यापन हेतु नगर परिषद् कार्यालय, नरकटियागंज दिनांक 25.07.2011 को करीब 01:00 बजे अपराह्न गये। परिवादी श्री वर्णवाल ने आरोपी श्री दिनेश मालवीय, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् नरकटियागंज से उनका परिचय अपने रिश्तेदार के रूप में कराया। परिवादी ने अपने काम के बारे में आरोपी से बातचीत किये तो मेरे सामने ही परिवादी से 5,000/–(पाँच हजार) रिश्वत की मांग की। आरोपी ने अपने कार्यालय के एक क्लर्क को अपने कक्ष में बुलाया और कहा कि ये नन्द किशोर मिश्र है। इन्ही को 5,000/–(पाँच हजार) रूपया दिनांक 27.07.2011 को जाकर दे दिजिएगा। ये रूपया हमको मिल जाएगा तो आपका काम हम कर देंगे। परिवादी द्वारा लगाया गया आरोप सत्य पाया गया है। आरोपी कुछ लम्बा है, रंग गोरा है, उम्र लगभग 50 वर्ष है।

4. श्री मन मोहन प्रसाद, सेवा निवृत पुलिस उपाधीक्षक (अनुसंधानकर्ता) द्वारा अपने बयान में उल्लेख किया गया है कि वादी बूचरखाना (मांस–मछली–मुर्गा) बध के एकरारनामा (Agreement) करने के एवज में नाजायज रूप से 5000/– (पाँच हजार) रूपये रिश्वत के रूप में अपने लिए श्री दिनेश मालवीय द्वारा मांग की गयी थी और उक्त राशि अपने कार्यालय कर्मी श्री नंद किशोर मिश्र (क्लक) को वादी से दे देने के लिए कहा था और इसी रिश्वत की राशि को लेते हुए निगरानी विभाग के धावादल द्वारा श्री दिनेश मालवीय के कार्यालय कर्मी श्री नंद किशोर मिश्रा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। अनुसंधान से श्री दिनेश मालवीय के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए माननीय न्यायालय से निर्गत Non & Bailable Warrant के आलोक में उन्हें गिरफ्तार किया गया।

उक्त प्रतिवेदन के आधार पर संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री मालवीय के विरूद्ध आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है।

विभागीय पत्रांक 18244 दिनांक 24.09.2025 द्वारा श्री मालवीय से संचालन पदाधिकारी के प्राप्त जाँच प्रतिवेदन पर लिखित अभिकथन की मांग की गयी। पुनः विभागीय पत्रांक 20269 दिनांक 29.10.2025 द्वारा स्मारित करते हुए लिखित अभिकथन समर्पित किये जाने का निर्देश दिया गया। श्री मालवीय को प्रेषित स्मार–पत्र बिना तामिला के वापस हो गया। श्री मालवीय को Whatsapp No. 7488201878 एवं पुनः प्रेस–विज्ञप्ति के माध्यम से लिखित अभिकथन समर्पित किये

जाने का निर्देश दिया गया। श्री मालवीय को सूचित किये जाने हेतु सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा दिनांक 21.11.2025 के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रेस–विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी है, किन्तु श्री मालवीय से जाँच प्रतिवेदन पर लिखित अभिकथन अप्राप्त रहा।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री मालवीय के विरूद्ध रिश्वत लेने के प्रतिवेदित एवं प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के संगत प्रावधानों के तहत **(i) पेंशन राशि से 20% (बीस प्रतिशत) की कटौती एवं (ii) निलंबन अवधि के लिए जीवन–निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा** की शास्ति अधिरोपित किये जाने का विनिश्चित किया गया।

श्री मालवीय के विरूद्ध विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक 24058 दिनांक 26.12.2025 एवं पत्रांक 3163 दिनांक 16.02.2026 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श की मांग की गई। उक्त के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 422 दिनांक 12.05.2026 द्वारा दण्ड प्रस्ताव से सहमति व्यक्ति की गयी है।

अतः अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री दिनेश मालवीय (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक 192/11, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नरकटियागंज, प0 चम्पारण, बेतिया सम्प्रति सेवानिवृत्त को बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के संगत प्रावधानों के तहत निम्नांकित शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है :–

(i) पेंशन राशि से 20% (बीस प्रतिशत) की कटौती,

(ii) निलंबन अवधि के लिए जीवन–निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा।

आदेष :– आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाषित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(उमेश प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव।

स्पीड पोस्ट

ज्ञापांक–2/आरोप–01–29/2012–सा0प्र0– 9069 **/पटना, दिनांक–** 21.5.26

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण बेतिया/पुलिस अधीक्षक, निगरानी विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/श्री दिनेश मालवीय (सेवानिवृत्त बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 192/11, **पत्राचार–**C/O-श्रीधर मिश्रा, बी0–03, ब्यास नगर, आशियाना रोड़, पोस्ट–आशियाना नगर, जिला–पटना–800025/ वरीय पदाधिकारी, प्रभारी प्रशाखा–12, 14, 29 एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.5.26

सरकार के अवर सचिव।